न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 158/2021

अनवान : –

1. हनीफखां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. साबरखां पुत्र सतारखां जाति मुसलमान निवाासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. सावा पत्नी सतार खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. कश्मीर खां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. जीरूखां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. बजीरखां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. सुल्तान खां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 26/9/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 54/53 की कुल 13.6070 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि नूरदीन पुत्र मेहरदीन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि में वर्तमान में नूरदीन पुत्र मेहरदीन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नूरदीन पुत्र मेहरदीन का देहांत हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी स0 3 ता 6 तथा प्रतिवादी स0 2 के पति सतारखां व तीन पुत्रीया हलीमा, सीमा, व जरीना तथा वादी की माता सेदा सहित कुल 10 वारिस हुए जिनमे वादी की माता की भी मृत्यु हो चुकी है तथा सतार खां भी फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी स0 1 व 2 है तथा हलीमा, सीमा व जरीना ने अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 01.10.2022 को अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया है। नूरदीन के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 6 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी स0 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी स0 5 व 6 ने [illegible] के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए जमाबंदी दुरूस्त की जाकर खाता [illegible] के नाम दर्ज 1 [illegible] हिस्सा में नुरदीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का नाम कलमजन किया जाकर उनकी जगह 1/12 हिस्सा वादी के नाम, प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 व 4 प्रत्येक के नाम 1/36 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया की रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के खाता संख्या 54/53 की कुल 13.6070 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/72 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि वादी के पिता नूरदीन के नाम दर्ज थी जिनकी फौतदगी के बाद विरासतन नामान्तरण दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी के मृतक भाई सतार का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी की मृतक भाई की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो की वादी के भाई है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा ऐतराज नही करने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया गया। वादी ने नवीनतम जमाबंदी प्रस्तुत की नवीनतम जमाबंदी के अनुसार रोही मौजा ढाणी लाल खां के खाता स0 54/53 की कुल 13.6070 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग द्वारा सहमति जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ए[illegible]री हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में [illegible] है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता स0 54/53 की कुल 13.6070 हैक्ट भूमि में से 1/36 हिस्सा भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/72 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5 व 6 ने अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के उक्त कथना को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जो कि प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जरिये अधिवक्ता सहमति जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। पत्रावली में दर्शायें सजरा खानदान एवं उप सरपंच ग्राम पंचायत देईदास द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार नुरदीन के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लाल खां के खाता स0 54/53 की कुल 13.6070 हैक्ट भूमि मे में प्रतिवादीगण स0 1, 2, 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर 1/9 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक..26.9.23.....को में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 158/2021

अनवान : –

1. हनीफखां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. साबरखां पुत्र सतारखां जाति मुसलमान निवाासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. सावा पत्नी सतार खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. कश्मीर खां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. जीरूखां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. बजीरखां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. सुल्तान खां पुत्र नुरदीनखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 158 सन 2021 निर्णय दिनांक 26/09/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लाल खां के खाता स0 54/53 की कुल 13.6070 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1, 2, 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 26/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:19 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर